न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या–13/2021

सरकार

बनाम्

अशोक कुमार सोनी

–: आदेश :–

22/09/21	राज्य सरकार की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। वर्तमान वाद की प्रक्रिया जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 1471/एम0 दिनांक 02.08.2021 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। मामला महुआडांड़ थाना काण्ड संख्या–06/2021 दिनांक–16.01.2021 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक, लातेहार ने धारा– 379 भा0द0वि0, 4(1ए)/21 एम0एम0डी0आर0/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा 13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त हाइवा ट्रक निबंधन सं0–CG30-1201 तथा उस पर लदे पत्थर का चिप्स (छर्री) को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि महुआडांड़ थाना द्वारा हाईवा ट्रक रजि0 संख्या– CG30-1201 एवं पत्थर का चिप्स (छर्री) का सभी दस्तावेज वैध एवं अद्यतन रहने के बावजूद भी जप्त किया गया है। दिनांक 14.01.2021 को ग्राम– अम्वाटोली स्कूल के पास पुलिस द्वारा जांच के क्रम में हाईवा ट्रक रजि0 संख्या– CG30-1201 को रोकने का इशारा करने पर गाड़ी चालक वाहन को खड़ा करके गाड़ी पर लदे पत्थर का चिप्स (छर्री) का कागजात दिखाया गया, जहाँ गाड़ी एवं पत्थर का चिप्स (छर्री) का वैध

कागजात होने के बावजूद भी बिना जांच पड़ताल किये महुआडांड़ थाना काण्ड संख्या– 06/2021 दर्ज किया गया, जो कानून सम्मत नहीं है। उक्त वाहन के विरूद्ध इसके पूर्व किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं है तथा खान एवं खनिज अधिनियम एवं झारखण्ड लघु खनिज समुदान नियमावली से संबंधित किसी भी अपराध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। गाड़ी एवं पत्थर का चिप्स (छर्री) का वैध कागजात होने के बावजूद वाहन के विरूद्ध राजसात की कार्रवाई किया जाना कानून सम्मत नहीं है। इसलिए वाहन से संबंधित कागजातों को जांच कर जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा वाहन को राजसात करने हेतु दाखिल प्रस्ताव को न्यायहित में खारिज किया जाय।

राज्य की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि दिनांक 14.01.2021 को ग्राम– अम्वाटोली स्कूल के पास जांच के क्रम में हाईवा ट्रक रजि0 संख्या– CG30-1201 को रोकने का इशारा करने पर गाड़ी चालक वाहन को खड़ा करके अंधेरा फायदा उठाते हुए भाग गया। गाड़ी के निरीक्षण में 20 टन पत्थर का चिप्स (छर्री) लोड पाया गया, जिसको JIMMS Portal पर Online जांच में पंजीकृत नहीं पाया गया। गाड़ी पर लदे पत्थर का चिप्स (छर्री) को बिना ई–परिवहन चालान के अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था, जो खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 यथा संशोधित 2015 की धारा–4(1ए), झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 यथा संशोधित 2019 के नियम 4 तथा 54 एवं The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017'' के नियम 9(i) का उल्लंघन है तथा नियम 13 के तहत् दण्डनिय अपराध है। आर्थिक क्षती को देखते हुए हाईवा ट्रक रजि0 संख्या– CG30-1201 को राजसात करने हेतु अनुरोध किया गया है।

दोनों पक्षों के बहस सुनने एवं तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि जप्त वाहन खुले स्थान में पड़ा रहने के कारण खराब होने की संभावना है। विपक्षी का स्वरोजगार का श्रोत जप्त वाहन है, जिससे उनके परिवार का भरण–पोषण होता है। वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है।

अतः जप्त हाईवा ट्रक रजि0 संख्या– CG30-1201 को निम्नलिखित शर्तों एवं एक लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार के आधार पर विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है :–

1. उक्त वाहन की प्रकृति वो पहचान बिना न्यायालय के आदेश का बदल नहीं सकेंगे।
2. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
3. वाहन को किसी दूसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
4. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

विपक्षी अपने वाहन के संबंध में उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात दाखिल करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

22/09/22

उपायुक्त,
लातेहार।

22/09/22

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.02.01 16:25:53 +05:30
Location: 192.168.244.97